

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रलिस के लयि:

[संसदीय स्थायी समलि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, भारतीय जीवन बीमा नगिम, अटल पेंशन योजना, ई-श्रम पोर्टल](#)

मेन्स के लयि:

असंगठलि श्रमकल के लयि सामाजकल सुरक्षा योजनाएँ, नीतलभूलयाँकन में संसदीय समललल के भूमकल, वतिलीय समावेशन ।

[स्रोत: फाइनेंसयल एक्सप्रेस](#)

चरचा में कयों?

संसद कल [स्थायी समलि \(PSC\)](#) कल रपलरट में असंगठलि क्षेतर के श्रमकल के लयि पेंशन योजना, [प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना \(PM-SMY\)](#) के खराब प्रदर्शन पर चतल जतलई गई है ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कयल है?

- **परचय:** यह वर्ष 2019 में शुरू कल गई एक केंद्रीय क्षेतर कल पेंशन योजना है, जसल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासल कयल जतल है, तथल [भारतीय जीवन बीमा नगिम \(LIC\)](#) पेंशन फंड प्रबंधक के रूप में कार्य करता है ।
- **लक्षतल लभार्थी:** यह योजना 18 से 40 वर्ष कल आयु के [असंगठलि श्रमकल](#), जैसे स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, नरमाण मज़दूर और कृषल श्रमकल को लक्षतल करतल है, जनकल मासकल आयु **15,000 रुपए तक** है ।
- **अंशदान:** श्रमकल को उनकी प्रवेश आयु के आधार पर **55 रुपए से 200 रुपए तक** का मासकल अंशदान (प्रीमयम) करना होता है, सरकार उनके अंशदान के बराबर राशल जमा करतल है ।
- **पेंशन लभ:** इस योजना के तहत श्रमकल के **60 वर्ष कल आयु वाले श्रमकल को 3,000 रुपए प्रतिमाह** पेंशन देने का वलदा कयल गया है । हालाँकल, यदल श्रमकल कल मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जतल है, तो उसके परिवार को कोई एकमुशत भुगतान नहीं कयल जतल है ।
 - अलभदलता कल मृत्यु कल स्थतल में, उनके जीवनसाली को पेंशन राशल कल **50% पारवलारकल पेंशन** के रूप में प्राप्त होगा ।

PM-SMY पर स्थायी समललकल रपलरट के मुख्य बदल कयल हैं?

- **PM-SMY का नरशाजनक प्रदर्शन:** नामांकन और सरकारी वतलतपोषण में कमी के कारण PM-SMY योजना का प्रदर्शन नरशाजनक रहा है ।
 - दो वर्षों में सरकारी अंशदान लगभग आधा हो गया है तथल वास्तवकल वयय वतलत वर्ष 2023-24 में घटकर **162.51 करोड रुपए** रह गया, जो वतलत वर्ष 2021-22 में **324.23 करोड रुपए** था ।
 - वयय में कमी श्रमकल और सरकार दोनों के योगदान में गरलवट को दर्शातल है, जसलसे योजना कल वयवहारयता और भी कमजोर हो जतल है ।
- **PM-SMY का लक्षय वर्ष 2023 तक 100 मललयन श्रमकल को नामांकल करना था, लेकनल वतलत वर्ष 24 तक यह केवल 5 मललयन तक ही पहुँच सकल, जो 565 मललयन असंगठलि कार्यबल के 1% से भी कम को कवर करता है ।**
 - हालाँकल, सरकार ने इस योजना को एक और वर्ष, अरथात् वतलत वर्ष 2025-26 तक, बढा दयल है, तथल इसके आकरण को बढाने के लयल संशोधन कल प्रतलक्षा कर रही है ।
- **नरशाजनक प्रदर्शन के कारण:**
 - **आय संबंधी चुनौतलल:** अनयमलत आय और असथरल रोजगार के कारण **असंगठलि क्षेतर के श्रमकल**, वशलषकर दैनकल वेतन भोगयल के लयल **55-200 रुपए** का मासकल प्रीमयम वहन करना कठनल हो जतल है, जसलसे उनकी भागीदारी कल क्षमता और कम हो जतल है ।
 - **कोवडल-19 का प्रभाव:** महामारी ने कई असंगठलि श्रमकल कल वतलतल स्थतल को प्रभावल कयल है, जसलसे योजना में योगदान करने कल उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है ।

- **संरचनात्मक बाधाएँ:** असंगठित क्षेत्र में औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का अभाव, अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और जागरूकता के कारण श्रमिकों के लिये योजना तक पहुँचने में चुनौतियों का कारण बनता है।
 - मौजूदा पेंशन वकिलप: **अटल पेंशन योजना (APY)** जैसी अन्य पेंशन योजनाओं की मौजूदगी से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे श्रमिकों को यह अनिश्चितता हो सकती है कि उन्हें किस योजना का चयन करना चाहिये।
- **योजना के पुनरुद्धार हेतु सफ़ारिशें:**
 - **प्रवेश आयु का वसितार:** पुराने असंगठित श्रमिकों को शामिल करने के लिये पात्रता आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करना।
 - योजना का वलिय: बेहतर संरेखण और कवरेज के लिये PM-SMY को APY और **प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना** के साथ जोड़ना।
 - ई-श्रम पोर्टल: 305 मिलियन से अधिक श्रमिकों के डेटाबेस वाला **ई-श्रम पोर्टल**, PM-SMY के लिये लाभार्थियों को शामिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
 - **PM-SMY को ई-श्रम डेटाबेस** के साथ एकीकृत करने से नामांकन सुव्यवस्थित हो सकता है और व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
 - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** उन श्रमिकों के लिये अंशदान को कवर करने हेतु **सब्सिडी** शुरू करना जो अपनी जेब से भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
 - **जागरूकता अभियान:** योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और गलत सूचना को कम करने के लिये लक्षित आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना।

संसदीय समितियाँ

- **परिचय:** संसदीय समितियाँ (PC) **संसद सदस्यों (MP)** की समितियाँ होती हैं जिनमें सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
 - ये समितियाँ अपना अधिकार **अनुच्छेद 105 (सांसदों के विशेषाधिकार)** और **अनुच्छेद 118 (कार्य-प्रक्रिया और संचालन के नियम)** से प्राप्त करती हैं।
- **आवश्यकता:** **संसद** में सीमांत समय के कारण, वसित चर्चा, **वर्षाज्ज इनपुट और अंतर-दलीय सहमति** के लिये PC आवश्यक है।
 - वे वधियकों और नीतियों की गहन जाँच करते हैं, प्रभावी वधियाँ कार्य सुनिश्चित करते हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण से बचते हैं।
- **संसदीय समितियों के प्रकार:**
 - **स्थायी समितियाँ संसद के अंतर्गत स्थायी और सतत नकियाँ** हैं जो वधियाँ कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
 - इनमें वलित्तीय समितियाँ (व्यय की जाँच), वभिगीय समितियाँ (मंत्रालयों की देखरेख), जाँच समितियाँ (मुद्दों की जाँच), संवीक्षा समितियाँ (नीतितगत जवाबदेही सुनिश्चित करना), दनि-प्रतदिनि की व्यावसायिक समितियाँ (प्रक्रियाओं का प्रबंधन) और सेवा समितियाँ (लॉजस्टिक्स को संभालना) शामिल हैं।
 - **तदर्थ समितियाँ** वशिषिट कार्यों के लिये गठित अस्थायी पैनल हैं, जनिमें जाँच समितियाँ और वशिषज्ज सफ़ारिशों के लिये सलाहकार समितियाँ शामिल हैं।
 - अपना कार्य पूरा हो जाने पर वे समाप्त हो जाती हैं।

असंगठित श्रमिक कौन हैं?

- **परिचय:** **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008** के तहत परिभाषित असंगठित श्रमिक शब्द का तात्पर्य असंगठित क्षेत्र में घर-आधारित श्रमिकों, स्व-नियोजित श्रमिकों या मजदूरी करने वाले श्रमिकों से है।
 - इसके अतिरिक्त, **संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी असंगठित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है** यदि वे **प्रमुख श्रम कानूनों** के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, जनिमें **कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923**, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, भवषिय नधि अधिनियम, 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 शामिल हैं।
- **असंगठित श्रमिकों के लिये पहल:**
 - **ई-श्रम पोर्टल**
 - **अटल पेंशन योजना**
 - **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**
 - **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)**
 - **महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना**
 - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना**
 - **आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)**

???????? ???? ???? ???? :

प्रश्न: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न

????????????????

प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016)

- (a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
- (b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिये ऋण उपलब्ध कराना
- (c) वृद्ध एवं नसिहाय लोगों को पेंशन प्रदान करना
- (d) कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का नधियन करना

उत्तर: (a)

प्रश्न. 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- 1. यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है।
- 2. परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है।
- 3. अभिदाता (सब्सक्राइबर) की मृत्यु के पश्चात् जीवनसाथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी रहती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-shram-yogi-maandhan-yojana>

